राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :– ई–33/लै.टे./ 07 /2017/335 दिनांक : 09/11/17

आदेश

निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नामो के सम्मुख अकिंत परीक्षा/प्रशिक्षण में स्वयंपाठी छात्र के रूप में बैठने की अनुमति/अनापत्ति निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रदान की जाती है :–

क.स.	कर्मचारी का नाम एवं पद	पदस्थापन जिला	आयोग/संस्थान का नाम	परीक्षा का नाम
1.	श्रीमती नम्रता दवे, प्रयोगशाला सहायक	बासवाड़ा	वर्धमान महावीर खुला विश्वविधालय, कोटा	M.sc.(Zoology)Final Yr 2017–18 स्वयंपाठी
2.	श्री गुलाम रसूल सोलंकी, प्रयोगशाला सहायक	जयपुर	N.I.O.S. ओपन बोर्ड	10+2 विज्ञान वर्ग 2017–18 स्वयंपाठी
3.	श्री हेमन्त त्रिवेदी, प्रयोगशाला सहायक	जोधपुर	N.I.O.S. ओपन बोर्ड	12 वीं कक्षा –2017–18 स्वयंपाठी
4..	श्री किशनाराम लैब टेक्नीशियन	जोधपुर	वर्धमान महावीर खुला विश्वविधालय, कोटा	M.Sc.(Chemistry)Pre. परीक्षा 2017–18 स्वयंपाठी
5.	सुश्री प्रतिभा पारीक, लैब टेक्नीशियन	जयपुर	वर्धमान महावीर खुला विश्वविधालय, कोटा	M.Sc. Physics परीक्षा प्रथम वर्ष 2017–18 स्वयंपाठी
6.	श्री बाबू लाल, लैब टेक्नीशियन	नागौर	वर्धमान महावीर खुला विश्वविधालय, कोटा	M.Sc.(Chemistry) Final Yr परीक्षा 2017 स्वयंपाठी
7.	श्री मुहम्मद असफाक, लैब टेक्नीशियन	जयपुर	–	BMLT(LE) अन्तिम वर्ष स्वयंपाठी

शर्ते निम्न प्रकार है:–

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हों तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित/ स्थानान्तरण हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जावेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग–अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एंव परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगीं ।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एंव परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जावेगीं उन्हे परीक्षा दिवस के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नही किया जावेगा ।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी कर्मचारी को किसी संस्था विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नही मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है ।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्यसंपादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेगा अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जावेगी ।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नही होगा ।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा ।
10. प्रशासनिक कारणों से लोकहित/राज्य हित में स्वीकृति/अनुमति बिना कोई सूचना के निरस्त की जा सकती है ।
11. राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय भार वहन नही किया जायेगा ।
12. अर्जित योग्यता के आधार पर विभाग किसी प्रकार का लाभ का पद देने हेतु बाध्य नही होगा।
13. इन्हे केवल परीक्षा/साक्षात्कार दिवस का ही अवकाश स्वीकृत किया जायेगा।
14. राज्य सेवा में कोई व्यवधान ना हो।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0, जयपुर।

क्रमांक :– ई–33/लै.टे./ 07 /2017/ 335 दिनांक : 09/11/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. संबंधित प्रधानाचार्य/अधीक्षक, चिकित्सालय।
2. संबंधित मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी।
3. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
4. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
5. संबंधित, प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी/प्रा0स्वा0 केन्द्र।
6. प्रभारी सर्वर रूम, क.नं. 302, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें ।
7. संबंधित कर्मचारियों को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
8. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0, जयपुर।